



कार्यालय नगर विकास व्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ ७/डी०टी०पी०/२०२२/।०१३ - ११

दिनांक :- २०/०४/२०२२

-::- विज्ञप्ति -::-

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाए गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24/२/२०२१ के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु व्यास में विचारणीय है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन वावत् किसी को आपत्ति हो तो १५ दिवस में व्यास कार्यालय में प्रत्युत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विवार नहीं किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	असरा सं० / ग्राम का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	सचिव, नगर विकास व्यास, कोटा	लारा नं. 219 (पार्टी), 218 (पार्टी), 223/546, 221/512, 223 (पार्टी), 225 (पार्टी), 226, 226/491, 201, 227, 202 (पार्टी), 34, 35 (पार्टी), 8 (पार्टी), 7 (पार्टी), 4 (पार्टी), 2, 1/4, 1/8, 1/9 (पार्टी), 18 (पार्टी), 990/1 (पार्टी) ग्राम धर्मपुरा	परिधि नियंत्रण क्षेत्र	आवासीय एवं संस्थागत	65.29

सचिव
नगर विकास व्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ ७/डी०टी०पी०/२०२२/।०१३ - ११

दिनांक :- २०/०४/२०२२

प्रतिलिपि :-

- १- अति. मुख्य अभियन्ता/उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/लपान्तरण शासा/विधि शासा को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति की विधायित अवधि में अगर कोई आपत्ति प्राप्त होती है अथवा आपको कोई आपत्ति है, तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जावेगा कि आपकी शासा में काई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं आपको कोई आपत्ति नहीं है।
- २- विज्ञापन शासा उक्त विज्ञप्ति को राजस्थान परिक्रान्तीकरण व एक विज्ञप्ति किसी अन्य राज्य स्तरीय समावार पत्र में प्रकाशित करताकर समावार-पत्र की कठिन प्रत्युत करें।
- ३- अतिरिक्त विजी सचिव अध्यक्ष महोदय, नगर विकास व्यास, कोटा को सूचवार्थ।
- ४- अतिरिक्त विजी सचिव, सचिव महोदय, नगर विकास व्यास, कोटा को सूचवार्थ।
- ५- कर्पूर शासा।

सचिव
नगर विकास व्यास, कोटा

सचिव
नगर विकास व्यास, कोटा